न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या — 311/2024

अनवान : —

1. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।

— **वादी**

बनाम

1. जिले सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. बिदामी देवी पत्नी निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. पवन पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सुशील पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
7. सुल्तान पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. रामप्रताप पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार गोदारा जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार गोदारा जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 26/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट व रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा असरजाना के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है वादीया ने अपने हक व हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है। वाद भूमि सयुंक्त होने के कारण कब्जा काश्त के संबंध में लड़ाई झगड़ा रहता है इसलिए वादीया मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवाना चाहती है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह [illegible] किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:52 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी घोषणा की [illegible] असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट व रोही मौजा असरजाना तहसील [illegible] के खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा असरजाना के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे। Rahul

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 व 10 ता 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार एवं कब्जा काश्त के मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट व रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा असरजाना के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 मदनलाल पुत्र साहबराम कौम खाती सा0 देह खातेदार रहन राज0 ग्रा0 बैक बिरकाली– ख0न0 99/1.24, 119/2.175 व 35/4 में से उत्तरी पासा की 1.012 कुल रकबा 4.427 हैक्ट

2 जिले सिंह पुत्र निहालसिंह कौम खाती सा0 देह खाते रहन एसबीआई नोहर – ख0न0 35/4 मे से दक्षिण पासा की 0.253 हैक्ट

3 जगदीश 1/4 हि0, सुलतान 1/4 हि0, पि0 रामजीलाल, रामप्रताप पुत्र छतुराम 1/2 हि0 कौम जाट सा0 देह रहन रामप्रताप जगदीश का हि0 आरएमजीबी बिरकाली, सुलतान का हि0 आईसीआईसीआई नोहर ख0न0 134 में से दक्षिणी पूर्वी पासा की 3.971 हैक्ट

4 मुकेश कुमार 3413/25300 हि0, राकेश कुमार 19/253 हि0 पि0 रामकुमार कौम जाट सा0 देह, सुशील कुमार पुत्र मुख्त्यार सिंह 19987/25300 हि0 कौम खाती सा देह खातेदार, सुशील का हि0 रहन पीएनबी [illegible] बैंक नोहर

5 जिले सिंह 2086/5153 हि0, ओमप्रकाश 2184/5153 हि0 पि0 निहालसिंह, बिदामी देवी पत्नी निहाल सिंह 883/5153 हि0 कौम खाती सा0 देह खाते रहन जिलेसिंह का हि0 एसबीआई नोहर ओमप्रकाश का हि0 एक्सिस बैंक नोहर– ख0न0 41/2 की 0.126, 41/3 की 1.619, 42/1 में से पश्चिमी पासा की 0.948 हैक्ट, 133 में से पूर्वी पासा की 2.33 हैक्ट, 134 में से उत्तरी पूर्वी पासा की 0.13 हैक्ट कुल रकबा 5.153 हैक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...26/02/26... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:52 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 311/2024

अनवान : –

1. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. जिले सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
3. बिदामी देवी पत्नी निहाल सिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
4. पवन पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
5. सुशील पुत्र मुख्त्यारसिंह जाति खाती निवासी असरजाना तहसील नोहर।
6. जगदीश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
7. सुल्तान पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
8. रामप्रताप पुत्र छतुराम जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार गोदारा जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।
11. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार गोदारा जाति जाट निवासी असरजाना तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 311 सन 2024 निर्णय दिनांक 26/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 33/31 की कुल 7.3230 हैक्ट व रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 148/148 की कुल 6.4880 हैक्ट भूमि व रोही मौजा असरजाना के खाता स0 71/65 की कुल 3.4150 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 मदनलाल पुत्र साहबराम कौम खाती सा0 देह खातेदार रहन राज0 ग्रा0 बैक बिरकाली– ख0न0 99/1.24, 119/2.175 व 35/4 में से उत्तरी पासा की 1.012 कुल रकबा 4.427 हैक्ट

2 जिले सिंह पुत्र निहालसिंह कौम खाती सा0 देह खाते रहन एसबीआई नोहर – ख0न0 35/4 मे से दक्षिण पासा की 0.253 हैक्ट

3 जगदीश 1/4 हि0, सुलतान 1/4 हि0, पि0 रामजीलाल, रामप्रताप पुत्र छतुराम 1/2 हि0 कौम जाट सा0 देह रहन रामप्रताप जगदीश का हि0 आरएमजीबी बिरकाली, सुलतान का हि0 आईसीआईसीआई नोहर ख0न0 134 में से दक्षिणी पूर्वी पासा की 3.971 हैक्ट

4 मुकेश कुमार 3413/25300 हि0, राकेश कुमार 19/253 हि0 पि0 रामकुमार कौम जाट सा0 देह, सुशील कुमार पुत्र मुख्त्यार सिंह 19987/25300 हि0 कौम खाती सा देह खातेदार, सुशील का हि0 रहन पीएनबी होली का चौक नोहर

5 जिले सिंह 2086/5153 हि0, ओमप्रकाश 2184/5153 हि0 पि0 निहालसिंह, बिदामी देवी पत्नी निहाल सिंह 883/5153 हि0 कौम खाती सा0 देह खाते रहन जिलेसिंह का हि0 एसबीआई नोहर ओमप्रकाश का हि0 एक्सिस बैंक नोहर– ख0न0 41/2 की 0.126, 41/3 की 1.619, 42/1 में से पश्चिमी पासा की 0.948 हैक्ट, 133 में से पूर्वी पासा की 2.33 हैक्ट, 134 में से उत्तरी पूर्वी पासा की 0.13 हैक्ट कुल रकबा 5.153 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरित करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के [illegible] नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:54:52 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर